



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

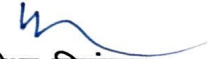
पत्रांक : परीक्षा/डी०आर०/९३२१
दिनांक : 13.11.2025

विज्ञप्ति

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या परीक्षा/डी०आर०/९३३९ दिनांक 28.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 02.09.2024 को अंगीकृत करते हुए निर्गत दिशा निर्देशों को लागू करने की अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी।

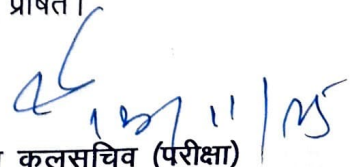
शैक्षिक सत्र 2025-26 में एन०ई०पी० स्नातक (बी०ए०, बी०एससी०, बी०काम० बहुविषयक) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की को-करिकुलर विषय एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निम्नवत् हैं।

1. शैक्षिक सत्र 2025-26 में एन०ई०पी० स्नातक (बी०ए०, बी०एससी०, बी०काम० बहुविषयक) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की को-करिकुलर विषय की 100 अंकों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (MCQ) माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करायी जायेगी। इस विषय में कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होगी।
 2. को-करिकुलर विषय में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे एवं को-करिकुलर विषय में प्राप्त अंकों की गणना SGPA/CGPA में की जायेगी।
 3. शैक्षिक सत्र 2025-26 में एन०ई०पी० स्नातक (बी०ए०, बी०एससी०, बी०काम० बहुविषयक) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी।
- शैक्षिक सत्र 2024-25 एवं उससे पूर्व प्रवेश ले चुके छात्रों हेतु उपर्युक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, ऐसे छात्रों की परीक्षाएँ पूर्ववत् ही सम्पन्न होंगी।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ तथा समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. व्यक्तिगत सहायक, वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
4. व्यक्तिगत सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
6. उप कुलसचिव/प्रभारी (गोपनीय)।
7. प्रभारी-अतिगोपनीय विभाग/कमेटी सैल/बी०एड० सैल/व्यवसायिक पाठ्यक्रम।
8. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत समस्त एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. विश्वविद्यालय पूछताछ केन्द्र।
10. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
11. गार्डफाइल।


उप कुलसचिव (परीक्षा)